हत्या/कथित आत्महत्या, पुलिस उत्पीड़न से मौत और लूट—पाट के साथ हत्या की कितनी वारदातें हुई और कितने मामलों में प्राथमिकता दर्ज की गई;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त अवधि के दौरान अधिकतर मौतें पुलिस उत्पीड़न के कारण हुई थीं और उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कार्मिक का केवल स्थानान्तरण कर दिया जाता है जबकि वारदात के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन वारदातों के लिए कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं तथा सरकार जनता में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए दोषी अधिकारियों/व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करना चाहेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) प्रश्नाधीन अवधि के दौरान दिल्ली में किसी पुलिस उत्पीड़न के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के मरने अथवा आत्महत्या करने का कोई मामला नहीं हुआ। तथापि, दिल्ली पुलिस ने, इसी अवधि के दौरान, चोरी के उद्देश्य के कारण हुई मौत के दो मामले दर्ज किए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वोहरा समिति की सिफारिशें

80. **श्री राम जेठमलानी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वोहरा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपराधियों, राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों की मिलीभगत से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक शक्ति—प्राप्त इकाई का गठन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत जानकारी क्या है; और

(ग) उक्त इकाई के गठन और कार्यकरण संबंधी समय—सीमा के बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) वोहरा समिति की रिपोर्ट के संबंध में श्री दिनेश त्रिवेदी, सांसद और अन्य द्वारा दायर जनहित दायर याचिका में उच्चतम न्यायालय द्वारा 20.3.1997 को फैसला दिया गया था। वोहरा समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में गठित नोडल एजेन्सी के मामले में न्यायालय ने कहा कि यह केवल एक पार्यवेक्षी निकाय है, जिसकी शक्तियां स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है और इसलिए यह जांच कार्यों की प्रगति और इसे आगे बढ़ाने में अधिक प्रभावी नहीं हो सकता है। इसके अलावा, नोडल एजेन्सी, विभिन्न जांच एजेन्सियों के बीच समन्वय और सूचना के आदान प्रदान के कार्य के लिए उपयुक्त हो सकती है, लेकिन इसकी संरचना इस प्रकार की है कि जनता द्वारा इसे पूर्णतः स्वतंत्र या हर प्रकार के दबाव से मुक्त नहीं समझा जा सकता है। इस कारण से न्यायालय ने यह सुझाव दिया कि इस कार्य को एक ऐसे स्वतंत्र निकाय को सौंपा जाये जिसमें लोगों का पूरा भरोसा और विश्वास हो। न्यायालय ने कहा कि उपयुक्त तरीके से स्थापित ऑनबड्समैन या लोक पाल जैसे संस्थान को लोगों का ऐसा विश्वास और सम्मान प्राप्त होगा। न्यायालय ने कहा कि जब तक इस प्रकार का संस्थान स्थापित नहीं हो जाता है तब तक, वोहरा समिति की रिपोर्ट में वर्णित मिलीभगत की जांच का प्रबोधन करने के लिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह से और लोक सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करनी चाहिए। वोहरा समिति की रिपोर्ट के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों से उत्पन्न मुद्दों और विकल्पों पर सरकार ध्यान दे रही है।

पुलिस बल द्वारा घायल किए गए पत्रकार

81. **श्री राम जेठमलानी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून, 1997 के दैनिक समाचार पत्र "हिन्दू" में "20 जर्नलिस्ट्स हर्ट इन अटैक बाई पुलिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कुछ समाचार पत्रों के प्रतिनिधि पुलिस बल द्वारा घायल किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को घटना की विस्तृत जानकारी मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार यह महसूस करती है कि पुलिस बल में व्यापक